2019 का विधेयक संख्यांक 9

[दि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी रूपान्तर]

श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य

का

बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 11 का संशोधन।

2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 11 की उप-धारा (1) में, ''दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो पच्चीस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में, महिलाएं और कन्याएं पुरातन काल से ही श्रद्धेय रही हैं। उनको देवी की भांति भी पूजा जाता है। भारत में विवाह सोलह संस्कारों में से एक है। हालांकि, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसलिए इसे तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, हमारे देश के प्रख्यात व्यक्तियों ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई और यह उनके महान कृत्यों का ही परिणाम है कि स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न सरकारों ने कानून बनाकर इसे रोकने के उपाय किए। परन्तु, आज भी हो रहे बाल विवाहों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की और भी आवश्यकता है ताकि बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को तुरंत रोका जा सके। इस विधेयक की सहायता से, बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले लोगों को कठोर संदेश दिया जाएगा। अंततः यह बाल विवाह के प्रभावी प्रतिषेध में अधिक सहायक होगा।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
18 *जनवरी,* 2019

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

उपाबंध

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 से उद्धरण

(2007 का संख्यांक 6)

* * * *

बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड।

11. (1) जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता-पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

* * * *

लोक सभा

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए विधेयक

(श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य)

MGIPMRND—3312LS(S3)—30-01-2019.